

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND WORKS AND
HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN
SINGH): With your permission, Sir, I
rise to announce that Government
Business in this House during the week
commencing 9th August, 1982, will
consist of:—

1. Consideration of any item of Gov-
ernment Business carried over from
today's Order Paper.

2. Consideration and passing of:

(a) The Industrial Disputes
(Amendment) Bill, 1982.

(b) The Motor Vehicles (Amend-
ment) Bill, 1982.

3. Consideration and passing of the
following Bills, as passed by Rajya
Sabha:—

(a) The Sales Promotion
Employees (Conditions of Service)
Amendment Bill, 1980.

(b) The Rubber (Amendment)
Bill, 1982.

(c) The National Waterway (Allaha-
bad-Haldia Stretch of the Ganga Bhagi-
rathi Hooghly River) Bill, 1982.

4. Consideration of the motion for
concurrence in the recommendation of
Rajya Sabha for reference of the
Mental Health Bill, 1981 to a Joint
Committee.

5. Discussion under Rule 193 regard-
ing the Report of the Backward Classes
Commission.

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज): डिप्टी
स्पीकर महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार
में गन्ना किसानों का एक अरब से भी
अधिक रुपया चीनी मिल मालिकों और

सरकार के अधीन चलने वाली मिलों पर
बकाया है। खरीफ और धान की बोवाई के
समय किसानों को बकाया रुपया न मिलने
की वजह से कठिनाई का सामना करना पड़
रहा है। बैल खरीदने, बीज और खाद का
इन्तजाम करने और कृषि यन्त्र खरीदने या
उनकी मरम्मत के लिए भी उनके पास पैसा
नहीं है। इसपर से सरकारी, सहकारी
और बैंक के बकायों की वसूली के लिए
नोटिस और कुर्की उनके पीछे दौड़ रही
है। केन्द्र सरकार किसानों का सारा बकाया
हर हालत में 31 अगस्त तक भुगतान करा
दे और जब तक किसानों पर सरकारी, सह-
कारी या बैंक की हर तरह की वसूली रोक
दी जाए। गन्ना किसानों के बकायों पर
मिलों से गन्ना कंट्रोल नियम, 1966 के
अन्तर्गत सूद सीधे किसानों को दिलवाने
की व्यवस्था की जाये। इस विषय पर अगले
सप्ताह बहस कराई जाए।

पूर्वात्तर रेलवे इस समय सब से अधिक
अव्यवस्था का शिकार है। समस्तीपुर से
लखनऊ तक आमान-परिवर्तन को साल भर
से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अब
भी इस लाइन पर मसाफिरों का कष्ट कम
नहीं हुआ है। लखनऊ से गोरखपुर पहुंचने
के लिए छोटी लाइन की गाड़ी पहले 6 घंटे
लेती थी, अब बड़ी लाइन की गाड़ी आमान-
परिवर्तन के बाद 8 घंटे से भी अधिक
समय लेती है। वह जाते समय ढाई घंटे
और आते समय साढ़े तीन घंटे लखनऊ में
पड़ी रहती है। इस दरमियान उसका
एयर कन्डीशनर भी बन्द कर दिया जाता
है, जिससे गाड़ी में पड़ा रहना भी ना-
मुमकिन हो जाता है। बाकि बची छोटी
लाइन की हालत तो और ज्यादा खराब है।
जिस लाइन पर पहले चार गाड़ियां चला
करती थी, उसपर अब एक या दो गाड़ियां
चलती हैं, जिनके आने-जाने का कोई
समय नहीं है। गोया पूर्वात्तर रेलवे का
इस वक्त कोई पुरसाने-हाल नहीं है।
रेल मंत्री को इस रेलवे पर खास तवज्जुह
देकर सुधार लाना चाहिए और सीधी
गाड़ियां अभी चलाना सम्भव नहीं है, तो
वर्तमान सवारी गाड़ियों में डीजल इंजन की
व्यवस्था कर इनको कम समय में पहुंचाया
जा सकता है।

नाव परिवहन, जलाशयों व नदियों में जल से उत्पन्न होने वाली फसलों का उत्पादन करना और जल से संबंधित काम धंधे हैं। स्वतंत्रता के बाद इन लोगों को किसी भी प्रकार का सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इन वर्गों की स्थिति अनुसूचित जाति व जन जाति से भी नीचे स्तर की रह गई है। सरकारी सेवाओं में और अन्य सेवाओं में इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। मल्लाह और मछुआ समाज में निषाद, धीवर, माफ़ी, विन्द, कर्वत, कहार, राइकवार, आदि उपजातियाँ आती हैं जो देश के अनेक राज्यों में अनुसूचित जाति या जन जाति में सम्मिलित कर ली गई हैं। परन्तु पूरे देश में इन को अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति, जन जाति में मल्लाह व मछुआ समाज की समस्त उप जातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

2. देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। रोजगार पाने की आशा में विभिन्न पदों के लिए करोड़ों नवयुवक एवं बेरोजगार आवेदन पत्र देते हैं और अनेक कम्पीटीशनों में बैठते हैं। बेरोजगार युवकों को साधनों के अभाव में भी आवेदन पत्र का मूल्य एवं कम्पीटीशनों की फीस भी देनी होती है। परीक्षा व साक्षात्कार के लिए उन को आने जाने का मार्ग व्यय भी उठाना पड़ता है। बेरोजगारों से किसी भी प्रकार का आवेदन एवं परीक्षा शुल्क लेना घोर अन्याय है क्योंकि यह सब खर्च करने के बावजूद उसको रोजगार पाने की कोई गारंटी नहीं है। सरकार एवं रोजगार देने वाली समस्त संस्थाएँ बेरोजगारों से सब प्रकार का शुल्क फीस आदि लेना समाप्त करें और संविधान में संशोधन कर के प्रत्येक वारिग व्यक्ति की योग्यतानुसार रोजगार देने की गारंटी की जाय और रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाय।

SHRI BABURAO PARANJPE (Jabalpur): I beg to raise the following two points for submission to the Government

to include them in the List of Business for the next week. The two points are:—

(1) The recent arrival of prisoners released from Pakistan Jail reveal the inhuman and atrocious treatment meted out to Indian prisoners in their jail. There have been disturbing news even in Pakistan newspapers about the worst type of treatment being given to Indians who are undergoing jail sentences, many of them even without a trial. The condition of prisoners, who have recently arrived shows that such inhuman treatment has brought insanity, ultimately resulting into making them a mental wreck. Sir, by no standard of human behaviour this type of treatment has been experienced anywhere else. The matter is of urgent public importance and the Government is requested to find out some time to discuss this issue so that our Government can assure the Parliament that needful is being done to protect and take care of those Indians, who are rotting in Pakistan jail.

(2) We have always been assured that Government is concerned with regard to dowry deaths. But in actuality nothing much has been done. On the contrary, over the last one year, there has been increasing number of dowry deaths of young women in the country, particularly in Delhi. These deaths are categorised as suicide, accident, drowning, burning and such other nomenclature. But the investigations are not done on proper lines to trace the cases of deaths. In many cases, the cases are covered up or hushed up for lack of proper evidence and in some cases reportedly in connivance with the police officials.

The matter is indeed of urgent public importance and is agitating the minds of the people in Delhi as well as the whole country that something more and concrete is to be done to set the deterrent to dowry deaths. Hence a fullfledged discussion on the subject needs to be included in the List of Business for the next week.

प्रो. अचित कमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रम के

[श्री अजित कुमार मेहता]

लिए कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का सुझाव देता हूँ :

(1) जूट मिलों में तकनीकी कामों के लिए भी समुचित योग्यता नहीं रखने वाले लोगों को नियुक्त कर लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कहीं कहीं तो ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजिस्टों को हटा कर रखा गया है जिन्हें दूर से भी जूट टेक्नोलॉजी से सम्बन्ध नहीं है। भारतीय जूट उद्योग बंगलादेश, चीन और थाईलैण्ड से कठिन प्रतियोगिता का सामना कर रहा है। विदेशी खरीदारों की आवश्यकताओं की समझ और उसके अनुसार उत्पादन की स्तर का निर्धारण और गुण का नियन्त्रण टेक्नोलॉजिस्टों की सहायता से ही सम्भव है। अभी 25 प्रतिशत कारखानों के प्रबंधक ऐसे हैं जिन्हें जूट टेक्नोलॉजी की समुचित योग्यता नहीं है। इस नीति का जारी रहना उद्योग के लिए घातक है। उद्योग नरम श्रम नीति की सविधा का लाभ उठाकर अपना आधुनिकीकरण भी नहीं कर रहा है न पुरानी अक्षम मशीनों को बदल रहा है, जिससे प्रतियोगिता से उबरने में सहायता मिलती और 3500 टेक्नोलॉजिस्टों का नियोजन हो सकता। प्रशिक्षित टेक्नोलॉजिस्टों के अभाव में आधुनिकीकरण में पूंजी निवेश व्यर्थ है और प्रतियोगिता में जान बूझ कर पिछड़ना है। अतः सरकार को एक विधेयक सदन में लाकर उद्योग टेक्नोलॉजिस्टों की नियुक्ति अदि-वार्य करने के साथ ही 40 कर्मचारियों को प्रति वर्ष इंस्टीट्यूट आफ जूट टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए स्पांसर करने के लिए प्रतिबाधित करने का सुझाव देता हूँ।

(2) समस्तीपुर दरभंगा मीटरगेज रेलवे लाइन को ब्रडगेज में परिवर्तन करने की योजना 1973 से ही लंबित है। 1980-81 के बजट में इसके लिए 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी तथा तत्कालीन रेल मंत्री ने आमान परिवर्तन की परियोजना का उद्घाटन भी कर दिया था और 1981-82 के बजट में इस

खर्च की पूर्ति के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया था किन्तु अब उसे वापस कर लिया गया है। इससे इस पिछड़े क्षेत्र के समुचित विकास की प्रक्रिया धीमी पड़ने की आशंका हो गई है। अतः अगले सप्ताह इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित स्टाफ का प्रावधान पूरक बजट लाकर करने का मेरा सुझाव है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में दो मद लोक महत्व के जुड़वाना चाहता हूँ :

(1) देश में बढ़ती हुई विमान अपहरण की घटनाओं को देखते हुए विमान यात्रियों में भय का वातावरण बन गया है। देश की रेल और बसों की तरह विमान में सफर करना भी सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए विमानों की सभी उड़ानों में दो सीट पुलिस बल के लिए आरक्षित की जायें, जो इस तरह की घटनाओं पर तुरन्त कार्यवाही करके अपहरण को बचा सके।

(2) देश के सभी भागों में बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय औषधि कम्पनियों व कुछ बेनामी कम्पनियों प्रभावहीन अथवा अनावश्यक दवाइयां बेच रही हैं, जिनके कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लोग पैसा खर्च करके भी बीमारी से छुटकारा नहीं पाते हैं। ऐसी कम्पनियों के खिलाफ अगले सप्ताह की कार्यवाही में चर्चा कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री रामाक्षतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा की आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की मद संख्या 5 के क्रम में मैं अगले सप्ताह के लिए निम्न विषय पेश कर रहा हूँ :-

1. सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता:

पिछले कुछ दिनों से महंगाई ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। आवश्यक सामग्रियों के थोक मूल्यों में तो वृद्धि चल रही है, खुदरा मूल्यों में वृद्धि कभी रुकी नहीं बल्कि और तेजी से बढ़ रही है।

नियंत्रित गेहूँ के मूल्यों में वृद्धि की सरकारी घोषणा के बाद व्यापारियों ने खुदरा दाम 10 से 15 प्रतिशत बढ़ा दिए हैं। देश के एक बड़े भाग में भयंकर सूखे की स्थिति से महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। पौकरी-पेशा लोग तथा देहातों-गाहनों के गरीब, इस के सबसे बड़े शिकार होंगे।

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अप्रैल के किश्त को अदायगी की घोषणा तो की पर 1 जून, 1982 को महंगाई भत्ते की एक और किश्त बकाया पड़ गई है। इस की घोषणा अब तक नहीं की गई है।

अतः मेरा वित्त मंत्री से निवेदन होगा कि वह जून के किश्त की बकाया राशि के भुगतान की घोषणा करते हुए सदन में एक बयान प्रस्तुत करें।

2. नक्सली आन्दोलन :

बिहार के कई जिलों में इस आन्दोलन के नाम पर लूटपाट, हत्या का सिलसिला चल रहा है। कथित नक्सलियों ने कहीं-कहीं राजनीतिक हत्याएं भी शुरू कर दी हैं। बिहार के कई जिलों में वे ऐसा कर चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा चुकी हैं।

कथित नक्सली अपना आतंक मेरे निर्वाचन क्षेत्र पटना के नाँवतपुर, विक्रम, फूलवारी अंचलों तथा कुछ अन्य स्थानों पर फैलाये हुए हैं। अपनी गलत राजनीति के रास्ते में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सब से बड़ा विरोधी सम्भ्र कर ही वे इस पार्टी के साथ भिड़न्त की नीति अपना रहे हैं। उन लोगों से पटना क्षेत्र के कम्युनिस्ट नेता श्री भुवनेश्वर शर्मा, भूतपूर्व विधायक, राम नारायण सिंह और दशरथ पासवान की कहीं भी हत्या कर देने की घोषणा की है। भुवनेश्वर शर्मा की हत्या करने के लिए अब तक चार बार उनके घर पर सशस्त्र गिराहो हमला कर चुका है। अभी हाल में नक्सलियों के बम से श्री शर्मा के

घर की तीन महिलाएं और छः बच्चे बुरी तरह से घायल हो गये।

इस विषय पर सदन में बहस होनी चाहिए। मेरा 184 के तहत एक संकल्प भी स्वीकृत है।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): Under items for next week's business, I would suggest the following.

There is a considerable confusion about what the Prime Minister has agreed to on the Tarapur fuel question. In November, 1981, the present Government had flatly rejected the idea of a third country like France acting as proxy supplier for the USA. Earlier, the Janata Government had rejected the same proposal.

On the floor of Parliament, the External Affairs Minister, Mr. Narasimha Rao had said that contract with the USA was 'dead', and what remained was a 'decent burial'. But now Mrs. Gandhi has gone to USA and has apparently breathed life into the corpse and revived the contract with a proxy. The French Foreign Minister, according to today's papers has declared that two new conditions are to be added to the new contract. This means a blow to our goal of self-reliance.

All this has created serious misgivings amongst the people. Therefore there should be a full discussion on the Tarapur deal, and Prime Minister should assure the House that our scientists' work will not go waste.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North-Central): When the Minister for Parliamentary Affairs makes a statement in the House about next week's Government Business I would like the following issues to be included in the next week's Government business:—

1. Poisonous and infected wheat for public Distribution System.

In spite of the warning by Australian Government, the exporting country, Union Government is importing 7,50,000 tonnes of wheat contaminated due to spraying of

[Shrimati Pramila Dandavate]

pesticide which according to the consumer organisations like Consumer Guidance Society of India should be destroyed.

It is reported that the entire quantity of wheat procured by the Union Government is infected with poisonous fungus which also should not be supplied to the consumers through public distribution system.

As this state of affairs is posing a grave hazard to the lives of the consumers I would request that there should be a discussion on the price and quality control of items supplied through public distribution system.

2. Police Commission Report

Atrocious behaviour by the Police in Siswa where women were reportedly raped and houses plundered by the police, a Sub-Inspector allegedly raping the wife of a Constable in Delhi and reported torture of Miss Madhu, an activist of Chhatra Sangharsha Vahini, by police for trying to protect 3000 Scheduled Caste residents and to rescue a prostitute are instances of the decline in moral standard of the police.

In view of the deterioration in the law and order situation in the country and increase in the complaints about police behaviour, it is necessary to find a basic remedy to the malice.

I would therefore request the Government to place all the five volumes of the Police Commission's report on the floor of the House for discussion.

श्री राम विलास पारसवान (हाजीपुर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं संख्या 5 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहता हूँ :-

(1) पत्रकारों को सरकारी क्वार्टर आवंटन नहीं किए जाने के कारण पत्रकारों में काफी क्षोभ है। केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकार की ओर से 110 क्वार्टर निर्धारित किये गये हैं जिन्हें

वरीयता के आधार पर सूची बना कर आवंटित किया जाता है। लेकिन क्वार्टर खाली पड़े हैं जिन्हें पत्रकारों को अलाट करने में जानबूझ कर विघ्न किया जा रहा है।

अतः सरकार खाली क्वार्टर को वरीयता के आधार पर शीघ्र पत्रकारों को आवंटित करे। साथ ही सरकारी क्वार्टरों के आवंटन में जो जा रही अनियमितताओं के संबंध में सदन में चर्चा हो।

(2) प्रधान मंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा काफी महत्वपूर्ण बतायी जाती है। प्रधान मंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा को काफी संतोषजनक बताया है लेकिन समाचार पत्रों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण मसलों जैसे अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को भविष्य में और हथियार नहीं देने, लैबनान के संबंध में अमेरिका का रुख तथा तारापुर में प्रयुक्त यूरेनियम को पुनः संसाधित करने के भारत के अधिकार के बारे में अमेरिका का रुख ज्यों का त्यों पूर्ववत् है तो फिर किस आधार पर प्रधान मंत्री ने अपनी यात्रा को अत्यंत संतोषजनक बताया है।

अतः प्रधान मंत्री से अपनी हाल की विदेश यात्रा के संबंध में सदन में वक्तव्य देने का निर्देश दिया जाए तथा सदन को उस पर बहस की अनुमति दी जाये।

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 9-8-82 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्यक्रम सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करना चाहता हूँ :-

मूल्यों में अबाध गति से वृद्धि

गत मई महीने से मूल्यों में अबाध गति से वृद्धि हो रही है। चिन्ताजनक बात यह है कि सरकार की बड़ी आत्म-श्लाघा के, कि रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है और सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, इस प्रकार मूल्य-वृद्धि हो रही है। सरकार के मूल्य वृद्धि रोकने के

अनेक प्रयास प्रभावकारी नहीं हो पा रहे हैं। अतएव कहीं न कहीं कोई खासी अवश्य है। गत बारह सप्ताहों से सभी वस्तुओं का अधिकृत थोक मूल्य सूचकांक लगातार बढ़ता जा रहा है और यह सर्वाधिकृत है कि उपभोक्ता मूल्य वृद्धि की दर थोक मूल्य-वृद्धि की दर से काफी अधिक होती है। परिणामस्वरूप सामान्य जनजीवन त्रस्त है। गत 17 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताहान्त के दौरान मूल्य सूचकांक अपने नये शिखर 291.2 पर पहुँच गया। यह मूल्य वृद्धि प्रधानतया खाद्य पदार्थों के मूल्य सूचकांक तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण हुई है।

जखीरेवाज एवं कालाबाजारिये परिस्थितियों से नाजायज फायदा उठाने में संलग्न है। इन पर अंकुश लगाने के लिये प्रांतीय सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम का सम्यक उपयोग नहीं कर रही हैं। अनेक प्रांतीय सरकारों ने अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये अभी तक प्रारम्भिक व्यवस्थाएँ तक नहीं की हैं। मानसून के विलम्ब के कारण सूखे की स्थिति आग में घी का काम कर रही है। प्रतिकूल प्रकृति का लाभ उठा कर ये कालाबाजारिये मूल्यों को और अधिक बढ़ाने में योगदान करेंगे।

अतएव मैं साग्रह निवेदन करूंगा कि सदन में इस विषय पर चर्चा की जाये एवं इस चिन्ताजनक स्थिति के निवारण के लिये उपाय निकाले जायें।

पुलिसजनों में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति

यह बड़ी ही चिन्ता एवं क्षोभ का विषय है कि दिगत दो-ढाई वर्षों से पुलिसजनों में अपराध की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। यह ऐसी समस्या है, जिससे कम्बोबेश सारा देश प्रभावित है। जिन लोगों का उत्तरदायित्व है कि देश में, समाज में शांति व्यवस्था सुदृढ़ हो, सभी प्रकार के अपराधों में ह्रास हो, अराजक तत्वों का कठोरता से दमन हो, नागरिकों में सुरक्षा

की भावना बलवती हो, यदि वे ही लोग स्वयं अपराध प्रवृत्ति एवं नियमोल्लंघन के शिकार हो जायेंगे तो फिर जन सामान्य की स्थिति कितनी दयनीय हो जायेगी, अकल्पनीय है।

आज प्रायः प्रतिदिन ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें पुलिस के लोग अनेक प्रकार के अपराधों में लिप्त पाये जा रहे हैं। बलात्कार, डकैती, राहजनी, हत्याओं, जैसे संगीन अपराधों में पुलिस-जनों की सीधी सम्बद्धता एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अधिकृत यात्री को चाहे बैठने का स्थान न मिले, परन्तु रेलगाड़ियों में पुलिस के लोग प्रथम श्रेणी में अनधिकृत रूप से यात्रा करते पाये जायेंगे। अराजक तत्वों से अनुचित संबंध रखना एवं जनसाधारण को निरपराध दंडित करना आज पुलिसजनों का सामान्य कार्य हो गया है।

अतएव मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस सम्मानित सदन में इस विषय पर विचार विमर्श हो तथा समस्या के निदान के लिये कुछ उपाय निकाले जायें।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एशिया-82 के टिकटों की बिक्री यहाँ पर होनी है। कल हाऊस नहीं है, सिर्फ 150 टिकट हैं, इसलिए सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: You must first give a notice. Do not raise it like this. You must write to me and then you must get my permission.

श्री जगपाल सिंह : एक-एक संसद-सदस्य ने 16-16 हजार रुपये जमा करा दिए हैं। (व्यवधान) सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Unless you write to me and take my permission I cannot allow. There is a way to deal with everything. I do not know what you are saying because you have not given notice. It is not zero hour. You must give notice.

श्री मलिक एम. एम. ए. खान
(एटा) लोक सभा के सदस्यों के लिए
सिर्फ 100 टिकट हैं, सदस्य 542
हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Don't raise it like this. You must write to me and then you must get my permission. Nothing will go on record without my permission.

(Interruptions)**

श्री मलिक एम. एम. ए. खान:
हम आपको लिखकर दे रहे हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Let the Minister reply to the various points raised by the hon. Members.

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोष्म नारायण सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अगले सप्ताह चर्चा करने के लिए सूझाव दिए हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। जैसी कि प्रक्रिया है, मैं प्रोसीडिंग पढ़ूंगा और आवश्यक समझूंगा तो कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष उपस्थित करूंगा।

MR. DEPUTY SPEAKER: Let one of you speak.

श्री राजेश कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सोमवार को हाउस बैठेगा, कल छूटती है। टिकटों की संख्या 150 है और कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगर एक ही माननीय सदस्य सारे टिकट ले ले तो बाकियों को नहीं मिले सदस्यों। सबको टिकट उपलब्ध हों, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: He has raised the issue. Now, why everybody should speak. You meet the Minister concerned and discuss with him. The House cannot give a decision on this.

श्री मलिक एम. एम. ए. खान :
हमारी बात सुन लीजिए। हम आपको लिख कर दे रहे हैं। सारे सदस्यों का सवाल है। 50 टिकट राज्य सभा के लिए हैं और 100 टिकट लोक सभा के लिए हैं। 542 सदस्य हैं। हमारी कांस्टीट्यूएन्सी से जो लोग आए हैं, उनको हम क्या जवाब देंगे ?

MR. DEPUTY SPEAKER: You please meet the Minister concerned. The House cannot give a decision on this. I am so sorry. I cannot give a decision on this issue.

श्री मलिक एम. एम. ए. खान:
हम आपके थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम आपको लिख कर दे रहे हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: The House cannot be conducted like this. There is a way to deal with things. How can I conduct the proceedings of the House if every now and then the hon. Members will get up and raise the issue? They don't give notice. This is not the way. I am not going to allow more. I have already allowed one hon. Member.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: It is all over. You cannot expect any decision from me. There is rule on the subject.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: You are not prepared to give importance to the Bill but to something else.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The Minister concerned should be informed of the sentiments of the House.

MR. DEPUTY SPEAKER: On any point which you want to raise here, you may give notice to the Speaker.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I have given notice.

SHRI MALIK M. M. A. KHAN:
Allow me to speak on this subject.

MR. DEPUTY SPEAKER: Only two or three minutes.

SHRI MALIK M. M. A. KHAN: I will take only two minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER: All right.

श्री मलिक एम. एम. ए. खान (एटा) : मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुनना गवारा किया। मेरी दरखास्त यह है कि हम 542 सदस्य हैं लोक सभा के। साँ टिकट हम लोगों के लिए एलाट किए गए हैं। पचास राज्य सभा के मेम्बरों के लिए किए गए हैं। आप गौर फरमाएँ कि हम चाँदह लाख की पापुलेशन को रिप्रिजेंट करते हैं। हमारी कांस्टीट्यूएँसी के लोग आ कर हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। अब आप बताएँ कि जब साँ टिकट है तो एक टिकट पर हँड पर मेम्बर भी नहीं आता है। आपने फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्ब्ड का सिद्धान्त रखा है। जो पहले आएगा ले जाएगा। अब पहला आ कर साँ ले गया तो बाकियों की छुट्टी हो गई। एक-एक टिकट भी एक-एक को आप दें तो 442 बिना टिकट की रह जाएंगे। हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में लोक सभा और राज्य सभा के मेम्बरों के साथ यह व्यवहार है गेम्ज का इन्तजाम करने वालों का। अगर आप हमारी सहायता करें, मदद करें। एक एक सदस्य को कम से कम पाँच टिकट तो मिलने चाहिएँ। इसके अलावा गेम की हर आइटम के लिए हम लोगों का रिजर्वेशन होना चाहिये टिकटों का ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज के लिए ही नहीं। खेल की हर आइटम के लिए कम से कम दस दस टिकट एक एक एम पी को मिलने चाहियेँ। यह हमारी मांग है।

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: I am sorry; the subject matter has already been dealt with by Mr. Khan.

Now, Mr. Balanandam.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: The subject matter is one and the same. He has already said about it. It has been recorded here.

SHRI MALIK M. M. A. KHAN: You may kindly communicate our sentiments to the Minister.

MR. DEPUTY SPEAKER: Automatically when it is recorded here, it will go to the notice of the Government.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY SPEAKER: Please don't record all these things. Only Mr. Balanandam.

I am so sorry. This is not the way.

One on behalf of all; he has already spoken.

I am sorry; this is not the way. If we have to follow this method, we cannot conduct the proceedings of the House. So, please cooperate. He has already spoken on behalf of all. The request is after all one and the same. The whole matter is relating to Sport. Why cannot you act sportingly on this issue at least?

(Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, I want to speak.

MR. DEPUTY SPEAKER: One minute.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I will take only 30 seconds.

MR. DEPUTY SPEAKER: All right.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर से आग्रह करूँगा कि या तो वह एम. पीज. के नाम से रिजर्वेशन खत्म कर दें, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि

[श्री राम विलास पासवान]

एम. पीज. के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन यदि वह एम. पीज. के लिए टिकट रिजर्व रखना चाहते हैं, तो इस काम का सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो टिकट मेरे नाम से रहे, जिस दिन मेरे पास होगा, मैं उन्हें ले लूंगा। यह तो नहीं होना चाहिए कि आज एक आदमी पच्चीस हजार रुपया जमा कर दे और सारे टिकट खरीद ले। बाद में जब आपकी या मेरी कांस्टीट्यूएन्सी से लोग आएंगे, तो वे माथा ठोक् लेंगे और कहेंगे कि ये एम. पी. है या बूद्धू है। Either you return them or if you want to distribute them, you give them to all Members.

(Interruptions)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI:
Every Officer should get one ticket only.

14.40 hrs.

IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE CESS (AMENDMENT) BILL, AND IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL—Contd.

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Bill No. 18—The Iron Ore and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Bill and the Bill No. 19—The Iron Ore and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill are to extend the welfare facility to the workers employed in chronic ore mines. Naturally, the benefit is very little. Even then there is no room to oppose this and therefore at the outset I say that I support this measure.

AN HON. MEMBER: Yes, he is supporting it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Sometimes occasionally you do something good.

SHRI E. BALANANDAN: It is said in the objects and Reasons that there are 6000 workers employed in the chrome ore mines and their living conditions needs amelioration on which also there can be no difference. But the pretention of the Government of India and the Minister for Labour is that they are bent upon taking steps to ameliorate the conditions of the working class which I must submit do not tally with facts.

Sir, with your permission let me divert a little and give a few examples by way of illustration. The other day the hon. Minister for Agriculture piloted a bill in this august House which was intended to take away the little protection the F.C.I. employees were enjoying—that is, the protection they had from arbitrary dismissal and other penal actions. Was this for ameliorating the conditions of FCI workers? No, Sir. This being the share of the Agricultural Minister let us see what the hon. Minister for (anti) Communications is doing today.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara): This is irrelevant, Sir.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: He is suffering from 'communicable' disease.

SHRI E. BALANANDAN: His department has a work-force of 7½ lakhs. Out of this, 2.75 lakhs are extra-departmental staff. You will be surprised to note that their total monthly income is around Rs. 1.30 to Rs. 2.30. What is he and his notoriously inefficient P&T Board are doing for them? In order to cover up their inefficiency and corruption they have started attacking the workers. Sir, we are having a big P&T Board and Mr Stephen is at the top of it. What are they doing? In the name of improving the efficiency of workers, Mr. Stephen is bent upon giving troubles to them. Protection from transfer of the Union officials is withdrawn, Union meetings are banned in the work premises. Even the posters and hand Bills of the Union are not allowed to be exhibited near the work places, etc. Now all these kinds of atrocious actions are being opposed by the workers. For this service break is